Need to ensure fair and transparent conduct of Private Health Insurance Companies in disposal of claims-laid

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) :मैं निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं । आईआरडीएआई के तेहत निजी स्वास्थ्य बीमा का खर्च दावा अनुपात 2022-23 से 2023-24 में 79% से गिरकर 62%, और कम हो गया । कंपनियाँ असत्य वादों से ग्राहकों को आकर्षित करती है, और फिर मनमाने आधार पर दावा खारिज कर देती हैं । अनेक न्यायालयों ने, आर्थिक सहायता से वंचित करना उत्पीड़न का रूप घोषित किया है, और कंपनियों पर जुर्माना लगाया है । किंतु, जुर्माना इन कंपनियों को रोकने के लिए छोटा है । ये कंपनियां अनावश्यक दस्तावेज़ों की मांग करके और दावा निपटान में देरी करके स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को परेशान करती हैं । इससे अस्पतालों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है । फिर अस्पताल लागत बचाने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रावधान की गुणवत्ता से समझौता करते हैं जो रोगियों के जीवन के लिए खतरा है । एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया ने ऐसी संदिग्ध प्रथाओं के खिलाफ विभिन्न शिकायतें उठाई हैं, लेकिन आईआरडीएआई ने कुछ नहीं किया । इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वे स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के आचरण को विनियमित करने का प्रावधान लाए, कम से कम व्यय दावा अनुपात 85% पर सेट करें, दावों के प्रसंस्करण के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित करें, और बार-बार उल्लंघन करने वालों को दंडित करें ।